

# ॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo\_badrinath\_uta@yahoo.co.in

Phone no-01372-252175

पत्रांक 2852/12-1, गोपेश्वर, दिनांक 25/01/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून

विषय:- जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत राज्य योजना में डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी 0.08 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मोअर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं 1728/FP/UK/Road/146204/2021 दिनांक 15.01.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कतिपय कमियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव वापस किया गया, जिसके अनुपालन में विषयांकित मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण निम्नानुसार किया गया है तथा प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियां संलग्न कर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर के प्रतिनिधि के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

क्र.सं.	प्रस्ताव में कतिपय कमियां	कमियों का निराकरण।
1.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र 3- भाग-2 में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की मोहर नहीं लगाई गयी है।	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र 3- भाग-2 में प्रभागीय वनाधिकारी के मोहर लगा दिया गया है।
2.	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 20 परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों के मूल्यांकन प्रमाण पत्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की मोहर नहीं लगाई गयी है।	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 20 परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों के मूल्यांकन प्रमाण पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के मोहर लगा दिया गया है।
3.	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-50 एन0पी0वी0 के आंकलन के प्रमाण पत्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की मोहर नहीं लगाई गयी है।	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-50 एन0पी0वी0 के आंकलन के प्रमाण पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के मोहर लगा दिया गया है।
4.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा ऑनलाईन भरे गये पार्ट II में पैरा 3 पर District wise diverted area 1.722 है 0 अंकित किया गया है। जबकि प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों में प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.861 है 0 अंकित किया गया है।	ऑनलाईन पार्ट II के पैरा 3 पर District wise diverted area में आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल में टंकण की त्रुटिवश Double Entry हो गयी थी, जिसे सही कर दिया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में अपने स्तर से वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्न:- प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियां।

निर्गमनार्थ प्राधिकृत,

भवदीय,

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर (चमोली)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पत्रांक:- / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर को उपरोक्त के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि विषयांकित मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की तीन प्रतियां इस कार्यालय से प्राप्त कर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून के कार्यालय में जमा करने हेतु अपने किसी कर्मचारी/अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करे।

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
उत्तराखण्ड (देहरादून)  
28-1-22  
प्राप्त किया  
HO

प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर